रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1979/श्रावण 27, 1901

No. 334] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1979/SRAVANA 27, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रीमंडल सचिवालय

अधिसूचना

18 अगस्त, 1979

का०आ० 474(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ पैंतीसवां संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्रथम अनुसूची

(नियम 2)

मंत्रालय, विभाग, सचिवालय और कार्यालय

1. कृषि और सिंचाई मंत्रालय
   (1) कृषि और सहकारिता विभाग
   (2) खाद्य विभाग
   (3) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
   (4) सिंचाई विभाग
2. वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
   (1) वाणिज्य विभाग
   (2) नागरिक पूर्ति विभाग
3. संचार मंत्रालय
4. रक्षा मंत्रालय
   (मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति विभाग सहित)
5. शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
   (1) शिक्षा विभाग
   (2) समाज कल्याण विभाग
6. ऊर्जा मंत्रालय
   विद्युत विभाग
7. विदेश मंत्रालय
8. वित्त मंत्रालय
   (1) आर्थिक कार्य विभाग
   (2) व्यय विभाग
   (3) राजस्व विभाग
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
   (1) स्वास्थ्य विभाग
   (2) परिवार कल्याण विभाग
10. गृह मंत्रालय
    (मंत्रालय के अन्तर्गत राजभाषा विभाग और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सहित)

11. उद्योग मंत्रालय
    (1) औद्योगिक विकास विभाग
    (2) भारी उद्योग विभाग
12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
13. श्रम मंत्रालय
14. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
    (1) विधि कार्य विभाग
    (2) विधायी विभाग
    (3) न्याय विभाग
    (4) कम्पनी कार्य विभाग
15. पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय
    (1) पेट्रोलियम विभाग
    (2) रसायन और उर्वरक विभाग
16. योजना मंत्रालय, सांख्यिकी विभाग सहित
17. रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड
18. ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय
19. नौवहन और परिवहन मंत्रालय
20. इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय
    (1) इस्पात विभाग
    (2) खान विभाग
    (3) कोयला विभाग
21. पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय
    (1) पुनर्वास विभाग
    (2) पूर्ति विभाग
22. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
23. निर्माण और आवास मंत्रालय
24. परमाणु ऊर्जा विभाग
25. संस्कृति विभाग]
26. इलेक्ट्रानिकी विभाग
27. संसदीय कार्य विभाग
28. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
29. अंतरिक्ष विभाग
30. मंत्रिमंडल सचिवालय
31. राष्ट्रपति सचिवालय
32. प्रधान मंत्री कार्यालय
33. योजना आयोग ।"

3. उक्त नियमों के द्वितीय अनुसूची में—

(क) "कृषि और सिंचाई मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "क. कृषि विभाग" उपशीर्षक और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"क. कृषि और सहकारिता विभाग

भाग—I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अन्तर्गत है :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ सम्पर्क, कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर (सी० ए० आर० ई०) के कृषि आदि से संबंधित माल का प्रबंध करना ।
2. कृषि से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों तथा अन्य निकायों में भाग लेना और वहां पर किये गये विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।
3. टिड्डी नियंत्रण का अभिसमय ।
4. वनस्पति निरोध ।
5. वे उद्योग, जिनके लिए संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक वे निम्नलिखित से सम्बद्ध हैं :—
    (क) कुछ कृषि उत्पादों (दुग्ध चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार, माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार, संघनित दुग्ध, घी और अन्य डेरी उत्पाद), मांस और मांस उत्पादों का संसाधन और प्रणीतन ;
    (ख) कृषि उद्योगों (मशीनरी, उर्वरक, बीज और पशु खाद्य सहित) का इस परिसीमा के साथ विकास कि कृषि उद्योगों (मशीनरी और उर्वरक सहित) के विकास के बारे में कृषि विभाग के कृत्य मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों ;
    (ग) शल्क लाख उद्योग ;
    (घ) मछलियों का संसाधन (जिसके अन्तर्गत डिब्बों में बन्द करना और हिमीकरण भी सम्मिलित है) ;
    (ङ) मत्स्य संसाधन उद्योग के लिए विकास परिषद् की स्थापना और उसकी प्रबंध-व्यवस्था ; और
    (च) मत्स्य संसाधन उद्योगों की तकनीकी सहायता और सलाह ।
6. अन्तर्देशीय और समुद्री मछली पकड़ना और मीनक्षेत्र ।
7. राज्यक्षेत्रीय समुद्र से परे मछली पकड़ना और मीनक्षेत्र (जिसके अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का स्टेशन, बम्बई है) ।
8. मौलिक गवेषणा, जिसके अन्तर्गत उसका समन्वय और वन विज्ञान में उच्चतर शिक्षा है ।
9. कृषि संबंधी गणना और पशुधन गणना ।
10. अखिल भारतीय सेवायें—भारतीय कृषिसेवा, भारतीय वन सेवा ।]
11. गन्ना विकास स्कीम ।
12. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को हुए नुकसान और पशुधन को हुई हानि संबंधी मामले ।
13. महामारियों से भिन्न, प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा आवश्यक हुए राहत उपायों का समन्वय ।
14. महामारियों से भिन्न, सभी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण मानव जीवन और सम्पत्ति को होने वाली हानि से संबंधित मामले ।
15. भारतीय जन दुर्भिक्ष-न्यास ।

भाग—II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची III के अंतर्गत है, (केवल विधान की बाबत) :—

16 खाद्य पदार्थों से भिन्न कृषि उत्पादों में अपमिश्रण ।

17. आर्थिक योजना (कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) ।

18. वृत्तियां (पशु चिकित्सा व्यवसाय) ।

19. पशुओं या वनस्पति को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशकजीवों के, जिनके अन्तर्गत टिड्डियां भी हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।

20. खाद्यान्न, शर्करा, वनस्पति, तिलहनों, वनस्पति तेलों, खली और वसा, पटसन, रूई और चाय के सिवाय, कृषि वस्तुओं की कीमत का नियन्त्रण ।

21. तिलहनों का उत्पादन ।

22. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का प्रशासन और संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन सम्बन्धी अन्य मामले ।

23. किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर-विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की, जिनके अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली ।

24. स्वयं अपने अभिकरणों द्वारा या सहकारी संघों द्वारा डेरी विकास स्कीमों का भार अपने ऊपर लेने वाले विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता का रूप ।

25. बाढ़ अभियान I और II, तथा उनसे सम्बद्ध सभी मामले।

26. पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण ।

भाग—III

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्यक्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के अन्तर्गत हैं:—

27. कृषि (कृषि शिक्षा और गवेषणा से भिन्न), मारकों से रक्षा और पादप रोगों का निवारण ।

28. भूमि, अर्थात् भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रामण, भूमि सुधार और कृषि सम्बन्धी उधार, जिनके अन्तर्गत निर्माणों और नगर योजना सुधारों के लिए कृषि भूमि से भिन्न भूमि का अर्जन नहीं है ।

29. भू-राजस्व, जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, राजस्व प्रयोजनों के लिए परिमाप और राजस्व का अन्य-संक्रामण भी है ।

30. पशु नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति और पशु-रोगों का निवारण; शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय ।

31. वन, वन-नीति, जिसके अन्तर्गत वन जन्तुओं का परिरक्षण है, और जहां तक अण्डमान और निकोबार द्वीपों का सम्बन्ध है वनों और वन-प्रशासन से सम्बद्ध सभी मामले ।

32. प्रतिपालक अधिकरण ।

33. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क ।

34. कृषि क्षेत्र में सहयोग, कृषि ऋण और ऋणग्रस्तता ।

35. कृषि उत्पाद के विपणन सम्बन्धी सामान्य नीति जिसमें कीमत-निर्धारण, निर्यात आदि सम्मिलित हैं ।

36. बीमा (फसल और पशु बीमा) ।

37. सभी सैक्टरों में सहकारिता और सहकारी क्रियाकलापों के समन्वय के क्षेत्र में साधारण नीति (सम्बन्धित मंत्रालय अपने अपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरदायी है) ।

38. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से सम्बन्धित मामले ।

39. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।

40. ऐसी सहकारी सोसाइटियों का, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, निगमन, विनियमन और परिसमापन ।

41. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण (जिसमें सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की शिक्षा सम्मिलित है) ।

भाग—IV

साधारण और पारिणामिक :—

42. जहां तक कृषि और सहबद्ध विषयों का सम्बन्ध है वहां तक विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त विदेशी सहायता से सम्बद्ध सब मामले, जिनके अन्तर्गत वे सभी मामले हैं, जो कृषि और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में भारत द्वारा विदेशों को दी गई सहायता से सम्बद्ध है, किन्तु जिनके अन्तर्गत कृषि गवेषणा और शिक्षा तथा सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में के ऐसे मामले नहीं हैं जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को विनिर्दिष्टत: समनुदिष्ट किये गये हैं ।

43. कृषि और उद्यान कृषि, जिनके अन्तर्गत (क) कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई (ख) लघु और आपातकालीन सिंचाई संकर्म, जिनके अन्तर्गत नलकूप हैं, (ग) भूमिगत जल खोज है ।

44. बायो गैस्थेटिक योजना ।

45. पशु-पालन, जिसके अन्तर्गत (क) कांजी हाउस और पशु अतिचार, (ख) वन्य पक्षियों और जीव-जन्तुओं का संरक्षण (ग) ढोरों का उपयोग और वध है ।

46. कृषि उत्पादन—अधिक अन्न और चारा उपजाओ ।

47. भूमि उद्धार ।

48. रूई और पटसन का विकास ।

49. विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध मृदा सर्वेक्षण ।

50 राज्य भू-संरक्षण और वन विकास स्कीमों को वित्तीय सहायता ।

51 उर्वरक और खाद (मांगों का आकलन, लक्ष्यों का नियतन और उर्वरकों का वितरण) ।

52. (क) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 और (ख) उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन ।

53. कीटनाशी अधिनियम, 1968 का प्रशासन ।

54. कृषि उपकरण और मशीनरी ।

55. देश में विस्तार शिक्षा और प्रशिक्षण का संगठन और विकास ।

56. सघन कृषि जिला कार्यक्रम ।

57. सघन कृषि क्षेत्र ।

58. फसल अभियान, फसल प्रतियोगिताएं और कृषक संगठन ।

59. भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त स्कीमें ।

60. यांत्रिक फार्म ।

61. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से सम्बन्धित सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

62. ऐसी परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतः आबंटित हैं, इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अन्तर्गत आने वाली पब्लिक सैक्टर परियोजनाएं।

63. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी से सम्बन्धित विधियों के विरुद्ध अपराध।

64. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच और सांख्यिकी।

65. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी की बाबत फीसें उन फीसों के सिवाय जो न्यायालय में ली जाती हैं।";

(ख) "वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा, और इस प्रकार प्रतिस्थापित शीर्षक के अन्तर्गत, "क. वाणिज्य विभाग" उप-शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"ख. नागरिक पूर्ति विभाग

I—आन्तरिक व्यापार

1. आन्तरिक व्यापार।

2. अन्तर्राज्यिक व्यापार, स्पिरिटयुक्त निर्मितियां (अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955।

3. वायदा बाजार का नियंत्रण [अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952]।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण, जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य मंत्रालय द्वारा व्यवहृत नहीं हैं)।

5. उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं।

6. लोक वितरण प्रणाली।

7. कीमतों का परिवीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता।

8. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।

9. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन।

10. कानूनी माप-विद्या में प्रशिक्षण।

11. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, जहां तक वे वनस्पति घी, तिलहन, वनस्पति तिलों, खली और वसा से सम्बद्ध हैं।

12. वनस्पति घी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा का अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य, उनका मूल्य नियंत्रण पूर्ति और वितरण।

13. वनस्पति घी, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय।

II—व्यापार चिन्ह आदि

14. व्यापार और वाणिज्य चिन्ह अधिनियम, 1958।

15. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950।

16. बाट और माप मानक (बाट और माप मानक अधिनियम, 1956—बाट और माप मानक अधिनियम, 1976)।

17. भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952।

18. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से सम्बन्धित स‍म्बद्ध या संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन, जिसमें फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, बम्बई भी सम्मिलित है।";

(ग) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "क. औद्योगिक विकास विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, मद "VII ग्रामोद्योग" और उसके अन्तर्गत 36 और 37 प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(घ) "रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड" शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

1. पंचायती राज से सम्बन्धित सभी मामले।

2. भूमि सुधार, भूमि-धारण अधिकार, भूमि-रेकार्ड, जोतों की चकबन्दी तथा अन्य सम्बन्धित मामले।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से सम्बन्धित निम्नलिखित के अनुसार सभी मामले:—
(क) ग्राम जल पूर्ति और ग्राम सड़कों की सीधी जिम्मेदारी;
(ख) प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्राम विद्युतीकरण, भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास और पोषण कार्यक्रम का तालमेल दायित्व।

4. ग्रामीण बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए कार्यक्रम जिनमें 'काम के लिए अनाज' कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

5. सर्वांगीण ग्रामीण विकास जिसमें लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमान्त कृषक और कृषि मजदूर, सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आदि सम्मिलित है।

6. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

7. ग्राम एवं कुटीर उद्योग।

8. जन सहयोग, जिसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों से सम्बद्ध सभी मामले सम्मिलित हैं।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण व्यवस्था जिसमें ग्रामीण गोदाम आते हैं।

10. नगर और ग्राम योजना, जहां तक इसका सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों से है।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937।

12. इस सूची की मदों से सम्बन्धनीय सहकारी समितियां।

13. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से सम्बन्धित सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय तथा अन्य संगठन।";

(ङ) "निर्माण और आवास मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, 23-ङ प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"23-ङ. पेय जलपूर्ति, ग्रामीण जल पूर्ति को छोड़कर, और स्वच्छता।"

(नीलम संजीव रेड्डी)
राष्ट्रपति

[सं० 74/2/3/79-मंत्रि०]
के० सहगल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 1979

S.O. 474(E)—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Governments of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-fifth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) for the First Schedule, the following schedule shall be substituted, namely :—

"THE FIRST SCHEDULE

(Rule 2)

MINISTRIES, DEPARTMENTS, SECRETARIATS AND OFFICES (MANTRALAYA, VIBHAG, SACHIVALAYA TATHA KARYALAYA)

1. Ministry of Agriculture and Irrigation (Krishi aur Sinchai Mantralaya) :

(i) Department of Agriculture and Co-operation (Krishi aur Sahkarita Vibhag).

(ii) Department of Food (Khadya Vibhag).

(iii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).

(iv) Department of Irrigation (Sinchai Vibhag).

2. Ministry of Commerce and Civil Supplies (Vanijya aur Nagrik Poorti Mantralaya):

(i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).

(ii) Department of Civil Supplies (Nagrik Poorti Vibhag).

3. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya).

4. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) :
[with a Department of Defence Production (Raksha Utpadan Vibhag) and a Department of Defence Supplies (Raksha Poorti Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)].

5. Ministry of Education and Social Welfare (Shiksha aur Samaj Kalyan Mantralaya) :

(i) Department of Education (Shiksha Vibhag).

(ii) Department of Social Welfare (Samaj Kalyan Vibhag).

6. Ministry of Energy (Oorja Mantralaya) Department of Power (Vidyut Vibhag).

7. Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).

8. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya):

(i) Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag).

(ii) Department of Expenditure (Viyaya Vibhag).

(iii) Department of Revenue (Rajaswa Vibhag).

9. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya) :

(i) Department of Health (Swasthya Vibhag).

(ii) Department of Family Welfare (Parivar Kalyan Vibhag).

10. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya):

[With a Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag) and a Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)].

11. Ministry of Industry (Udyog Mantralaya) :

(i) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag).

(ii) Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag).

12. Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya).

13. Ministry of Labour (Shram Mantralaya).

14. Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya aur Kampani Karya Mantralaya) :

(i) Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag).

(ii) Legislative Department (Vidhaye Vibhag).

(iii) Department of Justice (Nyaya Vibhag).

(iv) Department of Company Affairs (Kampani Karya Vibhag).

15. Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Petroleum, Rasayan aur Urvarak Mantralaya) :

(i) Department of Petroleum (Petroleum Vibhag).

(ii) Department of Chemicals and Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Vibhag).

16. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya) with a Department of Statistics (Sankhyki Vibhag).

17. Ministry of Railways (Rail Mantralaya) Railway Board.

18. Ministry of Rural Reconstruction (Gramin Punarnirman Mantralaya).

19. Ministry of Shipping and Transport (Nauwahan aur Pariwahan Mantralaya).

20. Ministry of Steel, Mines and Coal (Ispat, Khan aur Koyala Mantralaya) :

(i) Department of Steel (Ispat Vibhag).

(ii) Department of Mines (Khan Vibhag).

(iii) Department of Coal (Koyala Vibhag).

21. Ministry of Supply and Rehabilitation (Poorti aur Punarwas Mantralaya):

(i) Department of Rehabilitation (Punarwas Vibhag).

(ii) Department of Supply (Poorti Vibhag).

22. Ministry of Tourism and Civil Aviation (Paryatan aut Nagar Vimanan Mantralaya).

23. Ministry of Works and Housing (Nirman aur Awas Mantralaya).

24. Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag)

25. Department of Culture (Sanskriti Vibhag).

26. Department of Electronics (Electronics Vibhag).

27. Department of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Vibhag).

28. Department of Science and Technology (Vigyan aur Prodyogiki Vibhag).

29. Department of Space (Antareeksh Vibhag).

30. Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya).

31. President's Secretariat (Rashtrapati Sachivalaya).

32. Prime Minister's Office (Pradhan Mantri Karyalaya).

33. Planning Commission (Yojana Ayog)".

3. In the Second Schedule to the said rules—

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)" for the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (KRISHI VIBHAG)", and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely :—

"A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

1. Liaison with International Agri-organisations like Food and Agriculture Organisation of the United Nations, handling of CARE goods concerning agriculture etc.

2. Participation in international conferences, associations and other bodies concerning agriculture and implementation of decisions made thereat.

3. Convention on Locust Control.

4. Plant Quarantine.

5. Industries, the control of which by the union is declared by Parliament by Law to be expedient in public interest, as far as these relate to :—

(a) Processing and refrigeration of certain agricultural products (milk powder, Infant milk food, Malted milk food, Condensed milk, Ghee and other dairy products), Meat and meat products;

(b) Development of Agricultural industries including machinery, fertilizer, seeds and cattle-feed with the limitation that in regard to the development of agricultural industries including machinery and fertilizer, the functions of the Department of Agriculture (Krishi Vibhag) do not go further than the formulation of demands and the fixation of targets;

(c) Shellac Industry;

(d) Processing of fish (including canning and freezing);

(e) Establishment and servicing of Development Council for fish processing industry ; and

(f) Technical assistance and advice to fish processing industry.

6. Fishing and fisheries inland and marine.

7. Fishing and fisheries beyond territorial waters (including Deep-Sea Fishing Station, Bombay).

8. Fundamental research including co-ordination, thereof and higher education in Forestry.

9. Agricultural and Livestock Census.

10. All India Services-Indian Agricultural Service ; Indian Forest Service.

11. Sugarcane development scheme.

12. Matters relating to damage to crops and loss of livestock due to natural calamities.

13. Co-ordination of relief measures necessisted by natural calamities, other than epidemics.

14. Matters relating to loss of human life and property due to all natural calamities, other than epidemics.

15. Indian Peoples' Famine Trust.

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards Legislation only) :—

16. Adulteration of agricultural products other than foodstuffs.

17. Economic Planning (Agricultural Economics & Statistics).

18. Professions (Veterinary Practice).

19. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting animals or plants including locusts.

20. Price control of agricultural commodities except foodgrains, sugar, vanaspati, oil seeds, vegetable oils, cakes and fats, Jute, Cotton and Tea.

21. Production of oil Seeds.

22. Administration of Land Acquisition Act, 1894, and other matters relating to acquisition of land for the purposes of the Union.

23. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.

24. Pattern of financial assistance to various State undertaking Dairy Development Schemes either through their own agencies or through the Co-operative Unions.

25. Operation Flood I and II, and all matters pertaining thereto.

26. Prevention of Cruelty to Animals.

PART III

For the Union Territories the subjects mentioned in Parts I and II above, so far as they exist in regard to these Territories and in addition to following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

27. Agriculture (other than agricultural education and research), protection against pests and prevention of plant diseases.

28. Land, that is to say collection of rents, transfer and alienation of land and improvement and agricultural loans, excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.

29. Land revenues, including the assessment and collection of revenue, survey for revenue purposes, alienation of revenues.

30. Preservation, protection and improvement of stocks and prevention of animal diseases ; veterinary training and practice.

31. Forests—Forest Policy including wild life, preservation; and all matters relating to forests and forest administration in so far as Andaman and Nicobar Islands are concerned.

32. Courts of Wards.

33. Duties in respect of succession to agricultural land.

34. Co-operation in agricultural sector, agricultural credit and indebtedness.

35. General Policy relating to the marketing of agricultural produce including pricing, exports etc.

36. Insurance (Crop and Cattle Insurance).

37. General policy in the field of Co-operation and Co-ordination of co-operation activities in all sectors (The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in the respective fields).

38. Matters relating to National Co-operative Organisation.

39. National Co-operative Development Corporation.

40. Incorporation, regulation and winding up of co-operative societies with objects not confined to one State.

41. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).

PART IV

General and Consequential—

42. All matters relating to foreign aid received from foreign countries and international organisations in so far as agricultural and allied subjects are concerned, including all matters relating to assistance afforded by India to foreign countries the field of agriculture and allied subjects but excluding such matters in the field of agricultural research and education and allied subjects as are specifically assigned to the Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).

43. Agriculture and horticulture including (a) Irrigation for agricultural purposes, (b) Minor and emergency irrigation works including tube wells (c) Ground Water Exploration.

44. Bio-aesthetic Planning.

45. Animal Husbandry including—(a) ponds and cattle trespass; (b) protecion of wild birds and animals; (c) cattle utilisation and slaughter.

46. Agricultural Production—Grow more food and fodder.

47. Land Reclamation.

48. Development of Cotton and Jute.

49. Soil Survey in connection with development programmes.

50. Financial assistance to State Soil Conservation and Forestry Development Schemes.

51. Fertilisers and Manures (Formulation of Demands, fixation of targets and distribution of fertilisers).

52. Administration of (a) Fertiliser (Control) Order, 1957, (b) Fertiliser (Movement Control) Order, 1960.

53. Administration of Insecticides Act, 1968.

54. Agricultural Implements and Machinery.

55. Organisation and development of Extension education and training in the country.

56 Intensive Agricultural District Programme.

57. Intensive Agricultural Areas.

58. Crop campaigns, crop competitions and farmers organisations.

59. Schemes received from States and Union Territories for the settlement of Landless agricultural Labourers.

60. Mechanised Farms.

61. All Attached and Subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

62. Public Sector Projects falling under the subjects in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.

63. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

64. Inquiries and statistics for the purposes of any of the subjects allotted to this Department.

65. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.";

(b) for the heading "MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (VANIJYA, NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES (VANIJYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)" shall be substituted, and under the heading as so substituted, after the sub-heading "A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)", and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely :—

"B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)

I. Internal Trade

1. Internal Trade.

2. Inter-State trade; the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.

3. Control of futures trading [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952].

4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

5. Consumer Cooperatives.

6. Public Distribution System.

7. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

8. The National Consumer Protection Council

9. Regulation of packaged Commodities.

10. Training in legal Metrology.

11. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

12. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes, and Fats.

13. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.

II. Trade Marks etc.

14. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

15. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

16. Standards of weights and Measures (The Standards of Weights and Measures Act, 1956—The Standards of Weights and Measures Act, 1976).

17. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952.

18. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.";

(c) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)" under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", item "VII. Village Industries" and entries 36 and 37 thereunder shall be omitted.

(d) after the heading "MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) (RAILWAY BOARD)" and the entries thereunder, the following heading and entries be inserted namely :—

"MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION (GRAMIN PUNARNIRMAN MANTRALAYA)

1. All matters relating to Panchayati Raj.

2. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holidings and other related matters.

3. All matters relating to the revised minimum needs programme in the rural areas as below :—

(a) direct responsibility for rural water supply and rural roads;

(b) nodal responsibility for elementary education, adult education, rural health, rural electrification, housing for landless rural labour and the nutrition programme.

4. Programmes for tackling rural unemployment including 'food for work' programme training programmes and rural works programmes.

5. Integrated rural development, including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, drought prone area programmes, etc.

6. Hill areas development programme, desert development programmes and tribal areas development programmes.

7. Village and cottage industries.

8. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural reconstruction.

9. Warehousing in rural areas, including rural godowns.

10. Town and country planning, so far as it relates to rural areas.

11. Setting up of agricultural markets in rural areas and the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937.

12. Cooperatives relatable to the items in this list.

13. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.",

(e) under the heading "MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (NIRMAN AUR AWAS MANTRALAYA)", for entry 23E., the following entry shall be substituted, namely :—

"23E. Drinking water-supply, excluding rural water supply, and sanitation."

N. SANJIVA REDDY President

[No. 74/2/3/79-Cab.]

K. SAIGAL, Joint Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979